संख्या-18/1/08/का–2/2013

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक : 24 जून, 2013

विषय :– राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रकम मे विकलांगजन को अनुमन्य आरक्षण के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) द्वारा लोक सेवाओं और पदों में, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अभिज्ञात (Identify) करें, रिक्तियों का एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया है :–

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;
(ख) श्रवण ह्रास;
(ग) चलन किया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात

2– कार्यालय–ज्ञाप संख्या–18/1/2008–का–2–2008, दिनांक 03.02.2008 के संलग्नक के प्रस्तर–15 में सीधी भर्ती के मामले मे आरक्षण की आपसी अदला–बदली और अग्रनीत किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जाने का उल्लेख किया गया है।

3– उपर्युक्त के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

"यदि कोई पद विकलांगजन की तीनों श्रेणियों के लिए चिन्हित है और उक्त पद हेतु किसी एक श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो उसे अन्य दो श्रेणियों के अभ्यर्थियों में से किसी से भी भरा जा सकता है। इसी प्रकार यदि दो श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसे तीसरी श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है। उपर्युक्तानुसार कार्यवाही के पश्चात् भी, यदि विकलांगजन के लिए आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरे रह जाती है, तो उसे आगामी दो चयन वर्षो के लिए अग्रनीत किया जायेगा, उसके पश्चात वह रिक्ति व्यपगत (lapse) समझी जायेगी।"

4– मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**राजीव कुमार**)
प्रमुख सचिव।

संख्या–18/1/08(1)/का–2/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
2) निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
4) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
12) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(एस.पी. सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।